

## फर्द अहकाम



(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट
श्री कालूराम पुत्र श्री जगानाजी जाति घांची निवासी झाड़ोली तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही व अन्य 13		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा

किस्म मुकदमा- स्थगन प्रार्थना-पत्र

मुकदमा नं. 179 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
26.10.2020	<p>प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के मुकदमा सं. 49/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के साथ-साथ धारा 81 के तहत यह स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री उमेश पटेल की एक पक्षीय बहस सुनी गई, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के निर्णय में सजा के आदेश की क्रियान्विति पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब होकर पत्रावली दिनांक 20.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलक्टर, सिरौही</p>	
20.11.2020	<p>अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत की अपील में सिविल कारावास की सजा निरस्त करने का निर्णय आज हो चुका है। अतः इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	